संख्या-2/2024/571/43-2-2024

प्रेषक,

के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 18 नवम्बर, 2024**

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त किए जाने के लिए आवेदन पत्र के साथ विहित निर्धारित शुल्क हेतु कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6(1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ निर्धारित शुल्क जमा किए जाने का प्राविधान है। उ०प्र० सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम-5(1) में यह प्राविधान है कि सूचना प्राप्त किए जाने हेतु सम्बन्धित लोक प्राधिकरण को आवेदन पत्र के साथ रू० 10/- का आवेदन शुल्क **"संदेय समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप (Cash Against Proper Receipt) या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर"** के माध्यम से संलग्न किया जायेगा।

2- प्राय: यह देखा जा रहा है कि नागरिकों द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क को नकद स्वरूप में प्रेषित किया जाता है, जो कि उ०प्र० सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम-5(1) व 5(2) का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त नागरिकों द्वारा आवेदन पत्र के साथ डाक के माध्यम से आवेदन शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क नकद स्वरूप में प्रेषित किया जाता है जो कि भारतीय पोस्टल सेवा के अन्तर्गत विधिक रूप से निषिद्ध है।

3- उ०प्र० सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम-5(1) के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क **"समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप" (Cash Against Proper Receipt)** के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्यों को लोक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना आवश्यक है-

(i) उ०प्र० सचिवालय में सुरक्षा एवं संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र जमा करने हेतु प्रवेश-पत्र निर्गत किए जाने की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में उ०प्र० सचिवालय के समस्त विभागों में नामित जन सूचना अधिकारियों द्वारा नागरिकों के व्यक्तिगत रूप से आवेदन पत्र अथवा डाक के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न नकद स्वरूप आवेदन शुल्क तथा नकद स्वरूप अतिरिक्त शुल्क न स्वीकार किए जाएं, अपितु नागरिकों को यह अवगत कराया जाए कि आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क **डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर** के साथ प्रेषित किए जाएं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ii) उ०प्र० सचिवालय के विभागों के अतिरिक्त अन्य लोक प्राधिकरणों के कार्यालयों में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के साथ नकद स्वरूप प्राप्त आवेदन शुल्क तथा नकद स्वरूप प्राप्त अतिरिक्त शुल्क के एवज में नागरिकों को समुचित प्राप्ति (**Receipt)** प्रदान की जाए।

(iii) राज्य सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शासकीय कार्यालयों से सूचना प्राप्त किए जाने हेतु **आर०टी०आई० ऑनलाइन पोर्टल https://rtionline.up.gov.in** को वर्ष-2019 में विकसित किया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों को वेब पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा चुका है। अत: सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन करने वाले नागरिकों को जन सूचना अधिकारियों द्वारा उत्तर देते समय यह सूचित किया जाना आवश्यक है कि भविष्य में उनके द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु आर०टी०आई० आनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जाए।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त लोक प्राधिकरणों को उक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।